ब्लॉक–सी–3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)

——00——

क्रमांक /2470/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24/05/2019

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/ 2017/ 38–2 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24.05.2019

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /2471/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

महाविद्यालय, लालबहादुर नगर
आवक क्रमांक 30
दिनांक 21.6.19
जिला राजनांदगॉव (छ.ग.)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Nagar
Distt.- Rajnandgaon (C.G.)

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्र महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था, में इस विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिश सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बारह प्रतिश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिश सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों व अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Nagar
Distt.- Rajnandgaon (C.G.)